कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291 2612086,0291 2656355 गि 0291 261537

क्रमांकः– 2198 दिनांकः– 11/9/20

:: ई–बिड सूचना संख्याः जोन–पश्चिम 04 / 2020–21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत बिडसी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेल्वे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदाको के समकक्ष हो (बिड पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र मे ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से सिविल कार्यो हेतु ऑन लाईन बिडएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम बिडर्स द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम बिडर्स द्वारा 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन बिड खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण मे जमा करनी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	बिड की क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑन लाईन बिड फार्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 14.09.2020 AM 11.00 बजे से
2	ऑन लाईन बिड फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 24.09.2020 PM 6.00 बजे तक
3	ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 14.09.2020 AM 11.00 बजे से
4	ऑन लाईन बिड फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 24.09.2020 PM 6.00 बजे तक
5	बिड शुल्क बिड सुरक्षा राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 24.09.2020 PM 6.00 बजे तक
6.	ऑन लाईन बिड खोलने की दिनांक व समय	01 to 5	दिनांक 25.09.2020 AM 11.00 बजे

बिड का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	बिड सुरक्षा राशि(रू.)	बिड शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संधारण अवधि	जोन कार्यालय
1	नहर चौराहे से अणदाराम स्कूल, डाली बाई मंदिर से बद्री पैलेस तक स्थित डिवाईडर मे पेड पौधो लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	30.35	60,700	500	2 माह	3 वर्ष सम्पूर्ण पौधा रोपण पश्चात्	पश्चिम
2.	मुख्य चौपासनी रोड से जैसलमेर बाईपास तक पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण	33.85	67,700	500	2 माह	3 वर्ष	पश्चिम
3.	डी. पी. एस. से बोरानाडा टोल नाका तक डिवाइडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	33.90	67,800	500	2 माह	3 वर्ष	पश्चिम
4.	बाहरवी रोड चौराहे से डी पी एस सर्किल तक स्थित डिवाईडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	52.65	105,300	1000	3 माह	3 वर्ष	पश्चिम
5.	पाल लिंक रोड, घडी तिराहे से सेन्ट्रल एकेडमी चौ0 हा0 बो0 डिवाईडर मे पेड पौधे लगाने का कार्य (मय तीन वर्ष संधारण)	12.55	25,100	500	1 माह	3 वर्ष	पश्चिम

1. बिड प्रपत्रों को वेबसाइट http://www.eproc.rajsathan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन बिड में भाग लेने वाले बिडर्स को बिड को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajsathan.gov.in पर जमा करानी होगी ।
2. बिड की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. बिड हेतु पात्र बिडर्स की श्रेणी :–

किसी भी सीमा तक	एए श्रेणी, बिडर्स
रूपये 300.00 लाख तक	ए श्रेणी, बिडर्स
रूपये 150.00 लाख तक	बी श्रेणी, बिडर्स
रूपये 50.00 लाख तक	सी श्रेणी, बिडर्स
रूपये 15.00 लाख तक	डी श्रेणी, बिडर्स

4. बिड खोलने की तिथी को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण बिड नही खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष बिड खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा ।
5. बिड प्रक्रिया :–

कार्य	पोटेशियल असेसमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
सडक	100 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से 2000 लाख तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से 1000 लाख तक

6. बिडर्स द्वारा निम्नलिखित राशि निम्न विवरण अनुसार बिड खोले जाने के समय से पूर्व जरिये ऑनलाईन SSO ID ऑनलाईन बिड फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है:–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	बिड शुल्क	उपरोक्तानुसार	ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से SSO.RAJASTHAN.GOV.IN पर URBAN SERVICES में PAYMENT GETWAY FOR E-TENDERING के माध्यम से	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2	बिड सुरक्षा राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत		सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3	ई–बिड प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/– 50 लाख से ऊपर 1000/–		MD RISL, JAIPUR

7. प्रदत दरें बिड खोलने की दिनाकं से 50 दिवसों तक बिड स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि बिडकर्ता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संषोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
8. यदि बिडर्स के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संम्बधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक बिडर्स अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगे। यदि बिडर्स अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति बिड जमा कराने से पहले अथवा बिडर्स के यहाँ से सेवाये लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।
10. बिडर्स को बिड भरते समय साथ मे बिड शुल्क, बिड सुरक्षा धरोहर राशि, ई–टेण्डरिंग शुल्क Enllistment व Tax Clearance Certificate/GST की प्रति को स्केन कर लगाना अनिवार्य है।
11. किसी भी बिड को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते उस सीमा तक मान्य/लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध मे नही हो।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रू. की राशि बिड शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट यो बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल.के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. बिड शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रूपये 5000

15. ई–टेडरिंग के लिए बिडर्स हेतु निर्देश :–

• इन बिड मे दिलचस्पी लेने वाले बिडर्स बिड प्रपत्रो का इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajsathan.gov.in देख/डाउनलोड कर सकते है।

• बिड मे भाग लेने वाले बिडदाताओ को इन्टरनेट सार्इट http://www.eproc.rajsathan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बिड मे भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बिड मे साईन करने हेतु काम आयेगा। बिडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बिडर्स के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।

• बिडर्स को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट मे उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करनाहोगा। जिसका प्रस्ताव अकेले
भौतिक फॉर्म मे स्वीकार्य नही होगा।

• इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व बिडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रो से संबधित सभी आवश्क दस्तावेजो की
स्केन कॉपी बिड प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।

• कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।

• टेण्डर के प्रपत्रो मे आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

16. बिड राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु मे उल्लेखित अधिनियम एंव नियमों कि विकल्प नहीं हों।
17. बिना बिड सुरक्षा राशि एवं सशर्त बिडर मान्य नहीं होगी।
18. बिड सुरक्षा राशि online SSOID के माध्यम से जमा कराने पर ही बिड विक्रय की जायेगी/मान्य होगी।
19. एक या एक से अधिक बिड पूर्णतः बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा।
20. बिड विक्रय/प्राप्ति के अवकाश होने पर बिड स्वतः आगामी कार्य दिवस को प्राप्ति/विक्रय कर खोली जायेगी।
21. बिड से सम्बन्धित अन्य आवश्यक शर्ते कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
22. टंकण एवं दर में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर संशोधन पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. बिल्डिंग एवं रोड़ 2019 अनुसार मान्य होगा।
23. 'G' Schedule पर केवल % Above/Below दरे ही स्वीकार्य होगी। शेडयूल–एच में आईटम दरें स्वीकार्य होगी।
24. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा लागु सभी तरह के करों का वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
25. अतिरिक्त कार्य करवाए जाने पर भुगतान बीएसआर पर स्वीकृत टेण्डर प्रिमियम के अनुसार प्लस/माईनस दर देय होगी।
26. कार्य विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समय अवधि मे पूर्ण करना होगा।

27. सशर्त बिड मान्य नही होगी।

28. शेड्यूल में दर्शाई गई पेड–पौधो की संख्या/प्रजाती घटाई–बढाई जा सकती है परन्तु अन्तिम भुगतान रखरखाव अवधि पूर्ण होने पर स्वस्थ एवं जीवित पौधो की संख्या के अनुसार किया जायेगा।

29. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पास फैन्सिंग पर विज्ञापन लगवाये जाने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। विज्ञापन लगवाये जाने बाबत् विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुमति बाबत् बिडर को पृथक से सुचित कर दिया जायेगा।बिडर द्वारा स्वंय के स्तर पर इन पर विज्ञापन नही लगवाये जायेंगे एवं बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किसी अन्य द्वारा इन पर विज्ञापन नही लगने देंगें।

30. बिडर्स को पौधे लगाए जोन वाले कार्य हेतु स्थल की साफ–सफाई का कार्य एवं कचरे का निष्पादन उठाना,अन्यत्र ले जाना स्वंय के स्तर पर करवाया होगा एव रखरखाव किए जाने की अवधि के दौरान पौधे की कटाई–छटाई आस पास की जगली घास, खरपतवार, लेवलिग, हेज कटिग, ड्रैसिग इत्यादि। सफाई का कार्य कचरा स्थल से हटाने का बिडर को कचरा एकत्र होते ही हटाना होगा। जिसके लिए पृथक से भुगतान देय नही होगा। न्युनतम माह मे एक बार सफाई आवश्यक होगी।

31. बिडर्स को कार्य शुरू करते ही विभिन्न प्रजातिक लगाए जाने वोल एवं निधारित ऊँचाई के स्वस्थ, निर्देशित गोलाई के बिमारी रहित पौधे का इन्द्राज कमानुसार साईट रजिस्टर मे कार्य स्थल जहा पौधे लगाये गये है का इन्द्राज किया जाएगा तथा इस दौरान मृत पौधे के स्थान पर नये लगाये जाने वाले पौधे का भी इन्द्राज किया जाना होगा।

32. बिड के प्रत्येक भुगतान में से 10 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप मे काटी जाएगी जो रखरखाव की अवधि समाप्त होने के एवं कार्य संतोषजनक होने पर अतिम बिल के भुगतान के पश्चात तीन माह बाद लौटाई जाएगी तब तक वायर फैन्सिंग/पैड–पौधे/ट्री गार्ड/रेलिग की सम्पूर्ण सुरक्षा एव रखरखाव का पूर्ण दायित्व बिडर का ही रहेगा। उक्त अवधि मे इनके नष्ट होने/क्षतिग्रस्त होने/चोरी होने की स्थिति मे बिड को ही समस्त कार्यवाही करते हुए इनके स्थान पर 10 दिवस की अवधि मे निधारित विशिष्टियो के अनुसार नयी फैन्सिग, ट्री गार्ड, पौधे लगाना अनिवार्य होगा।

33. पौधे की रखरखाव किये जाने के कार्य के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार न्यूनतम कार्य करने होगेः–

क.स	कार्य का नाम	
1	पौधो को पानी देने का कार्य 20 लीटर प्रति बार प्रति पौधा।	तीन दिवस मे एक बार
2	पौधे मे खाद देने का कार्य आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
3	निराई,गुडाई कर अनचाही झाडिया को हटाना	सप्ताह में एक बार
4	पौधे,फैन्सिग की सुरक्षा	प्रतिदिन 24 घण्टे
5	स्थल सफाई,हेज कटिग एवं कचरा निष्पादन	प्रत्येक माह मे

34. बिड को वर्ष मे 2 बार मे 20 ग्राम प्रति पौधा (सितम्बर व मार्च मे प्रति बार 10 ग्राम) गोबरर की कम्पोस्ट कर खाद प्रति पौधे मे प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में डालनी होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त गोबर की कम्पोस्ट कर खाद प्रति पौधे में प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे डालनी होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी। निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा मे खाद नही डालने पर 7 दिन बाद जेडीए द्वारा डलवायी जायेगी तथा लागत कीमत की दुगुनी राशि की वसूली बिडर से की जायेगी।

35. बिड को आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह मे एक बार मे कीटनाशक दवा एण्डो सल्फान 15 मिलीमीटर प्रति पौधे प्रति बार मे प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे डालनी होगी। जिसके लिये निर्धारित कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी। निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा मे कीटनाशक दवा नही डालने पर 7 दिन बाद जेडीए द्वारा डलवायी जायेगी तथा दुगुनी राशि की वसूली बिडर से की

36. वर्ष के रखरखाव के दौरान यदि सवेदक की लापरवाही या गलती से सुरक्षित फैन्सिंग/ट्री गार्ड/जालिया/मिडीयन/आईलेण्ड से 10 प्रतिशत से अधिक पौधे नष्ट/क्षतिग्रस्त हो जाते है तो यह कार्य नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस प्श्चात जेडीए द्वारा उक्त कार्य निरस्त कर बिडरकी Risk & Cost पर कार्य करवाया जायेगा।

37. बिडर्स को निर्देशानुसार पौधो को लगाने के पश्चात तक एक विशेष आकृति में थीनिग– प्रूनिंग, हेज कटिंग, निराई गुडाई आदि करनी होगी एवं पौधो को फाइन जेट से प्रभारी के द्वारा निर्देशानुसार धुलाई भी करनी होगी। पृथक से भुगतान देय नही होगा।

38. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अतिम होगा एवं मान्य होगा।

39. छायादार पेड के लिए पौधे की प्रजाति नीम, सीसम, पेल्टा फार्म,गुल थरा, गुल मोहर ,अमरतास,कचनार, करंज, चम्पा एवं प्रभारी के निर्देशानुसार होगी। हेज प्रजाति के पौधे मे कनेर, बोगन बेल (ईग्लिश) ,टेकोमा ,इनरमी एव प्रभारी के निर्देशानुसार लगाने होगे।

40. पोधे का भुगतान तीन किश्त मे किया जाएगा। प्रथम किस्त पौधे लगाने के एक माह पश्चात लगाये पौधे की कुल लागत का प्रतिशत तीन माह पश्चात 25 प्रतिशत तथा छः माह के अंत मे पौधे की किस्म क अनुसार ऊँचाई को देखते हुए शेप 25 प्रतिशन का भुगतान किया जाएगा।

41. यदि पेड़ की ऊँचाई 2/3 वर्ष पश्चात निर्धारित ऊँचाई से कम पाई जाती है या स्वय पोषित नही होता है तो ऐसे पेड़ो को निधारित मापदण्ड पर लाने की जिम्मेदारी बिडरकी होगी। जिसका भुगतान देय नही होगा।

42. पौधे के तीन वर्ष की रख–रखाव अवधि मे लगाए गये पौधे की प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के अन्त मे पौधो की किस्म के अनुसार ओसतन बढोतरी होनी आवश्यक है :– (हेज प्रजाति के पौधे को छोड़ कर)

लगाये जाने वाले पौधो की निर्धारित उचाइ	प्रथम वर्ष के अन्त में अनुमानित उचाई	द्वितीय वर्ष के अन्त मे अनुमानित उचाई	तृतीय वर्ष के अन्त मे अनुमानित उचाई
1500 एम एम (5 फुट)	6 फुट से 7 फुट तक	8 फुट से 9 फुट तक	10 फुट से 11 फुट तक
900 एम एम (3 फुट)	3.5 फुट से 4.5 फुट तक	5.5 फुट से 6.5 फुट तक	7.5 फुट से 9.5 फुट तक

43. तीन वर्ष की रख–रखाव की अवधि मे ट्री गार्ड / तारबंदी की आवश्यता मरम्मत का ध्यान रखना होगा तथा रंग रोगन एव लिखाई का कार्य धन्धला होने पर पुनः रंग रोगन एव लिखाई का कार्य करते हुए इनके रख–रखाव करने का सम्पूर्ण दायित्व बिडर का होगा। पृथक से भुगतान देय नही होगा।

44. तीन वर्ष की रख–रखाव की अवधि समाप्त होने पर पौधे / फैन्सिग वृक्षारोपण स्थल पर संबंधित प्रभारी को सुपुर्द करने होंगें।

45. तीन वर्ष की रख–रखाव की अवधि समाप्त होने के पहले यदि बिडर्स का कार्य सतोषजनक रहता है तो मौके की स्थिति को देखते हुए रख–रखाव की अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता समझी जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव करने की अवधि बढाई जा सकती जो बिडर्स की सहमति से इन्ही शर्तो पर बढाई जा सकेगी।

11/9/2020

अधिशाषी अभियंता (जोन पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर
दिनांक :–

कमांक :–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियात्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रथम / द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी,, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधिशाषी अभियंता जोन– पूर्व / पश्चिम / दक्षिण / उत्तर / मुख्यालय / आर.ओ.बी / विद्युत / पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिककरण, जोधपुर।
10. कैशियर / नोटिस बोर्ड।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड का प्रकाशन http://www.eproc.rajsathan.gov.in,www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेडयुल अपलोड होने के पश्चात टेण्डर आई.डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे।
12. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / जोधपुर ठेकेदार संघ / ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन / ठेकेदार संघ सिविल जेडीए / पीडब्ल्युडी ठेकेदार संघ / .... ।

अधिशाषी अभियंता (जोन पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर